संख्या- 6 /2022/ 107/53-2-22-06(बजट)/2018-ई-2050219

प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0,जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2022**

विषय-अनुदान संख्या-16अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-495/दुग्ध-4/नियो0/उ0प्र0दुग्ध नीति(231)/21-22, दिनांक 22 फरवरी, 2022 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021 /बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्थानुसार प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-36/2021/1109/53-2-2021-06बजट/2018, दिनांक 23दिसम्बर, 2021 द्वारा रू0 83.33लाख की धनराशि अवमुक्त है जिसके संबंध में दुग्ध विकास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-34/53-1-2022-01(विविध)/2018, दिनांक 21जनवरी,2022 द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत है। प्राविधानित धनराशि रू0 500.00लाख की अवशेष धनराशि रू0 416.67लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 83.33लाख(रू0 तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1. वर्तमान में प्रदेश में विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत प्रकरण में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 द्वारा धनराशि का कोषागार से आहरण किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
3. पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित मद से इतर किसी अन्य मद में किये जाने वाला व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण- पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
6. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा तथा मानक मद से विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
7. दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
8. धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना/प्रस्ताव राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों /गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
10. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।
11. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।
12. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

13. विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

14. कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

15. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 3 / 2021 / बी-1-375 / दस- 2021- 231 / 2021, दिनांक-22.03.2021 में उल्लिखित दिशा -निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-1073/53-1-1-18-1(विविध)/ 2018, दिनांक 19नवम्बर,2018 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के अधीन किया जायेगा।

19. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर लिया जायेगा।

20.दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र संकलित कर शासन को प्राविधानित धनराशि की अवशेष धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक-''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-09-उ0प्र0दुग्ध नीति-2018- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई/1/ 3663 /दस-2021-22 दिनांक 04 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 6/2022/107(1)/53-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-3 / राज्य योजना आयोग-3/दुग्ध विकास अनुभाग-1।
7- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-
बिन्द गोपाल द्विवेदी
उप सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।